(1)

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प. क. सेवायें, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय टिपण्णी/क्रमिक टिपण्णी

18 **विषय :– सैशन प्रकरण संख्या 36/2008 सरकार बनाम प्रमिला चौधरी में अपील हेतु जिला कलैक्टर को पत्र लिखे जाने के संबंध मे।**

19 कृपया दिनांक 06.05.09 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक संख्या 1), अजमेर द्वारा सरकार बनाम प्रमिला चौधरी में दिये गये निर्णय (पताका ए) का अवलोकन करने का कष्ट करें। यह प्रकरण तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर द्वारा अभियुक्ता के विरूद्ध दर्ज परिवाद से संबंधित है। जिसमें कि विचारा न्यायालय द्वारा 315/511, 120 आईपीसी, 5 एमटीपी एक्ट एवं धारा 6/23 में प्रसंज्ञान लिया गया सैशन ट्रायल होने के कारण ट्रायल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक संख्या 1), अजमेर द्वारा किया गया उक्त निर्णय में न्यायालय ने यह माना है कि "गवाह श्रीपाल शक्तावात व श्रीमति मीना शर्मा ने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि योजना के अनुसार कथित महिला के गर्भ समापन हेतु जब अभियुक्ता के पास गये तो अभियुक्ता ने दूसरे दिन आने को कहा था, और दूसरे दिन वे लोग अभियुक्ता के पास नहीं गये ऐसी स्थिति में अभियुक्ता द्वारा गर्भ समापन कराये जाने की तैयारी की परिस्थिति पैदा होना नहीं माना जा सकता" चूंकि प्रयत्न की दिशा में कोई तैयारी का किया जाना आवश्यक होता है। जबकि उक्त प्रकरण में ऐसा नहीं है। इस कारण अभियुक्त गणों को बरी किया जाता है।

20 न्यायालय के इस फैसले में कुछ आधार ऐसे है जिन पर अपील की जा सकती है :–

- उक्त प्रकरण एक स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित है। जिसमें पत्रकारों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि हमारा उद्देश्य गर्भ समापन कराना नहीं था बल्कि हम केवल इस प्रकार के अवैध गर्भसमापन करने वालों को उजागर करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तैयारी का प्रश्न ही नहीं उठता।
- पत्रकारों द्वारा अपने बयानों मे यह स्वीकार किया गया है कि जब हमने डॉ0 प्रमिला चौधरी को यह बताया कि हमारे पहले से एक बेटी है तथा गर्भ में भी एक लडकी है इस कारण गर्भपात कराना चाहते है। जिस पर अभियुक्त द्वारा गर्भपात के लिए सहमति दी ओर कल आने को कहा।
- 511 के अर्न्तगत जिस प्रयत्न को दण्डनीय बनाया गया है वह आशय और तैयारी के बाद तीसरा प्रक्रम है जो कि प्रत्येक स्तर दण्डनीय है और जहॉ तक आशय का प्रश्न है चिकित्सक द्वारा लिंग चयनित गर्भपात के लिए सहमति ही चिकित्सक के आशय को प्रदर्शित करती है।

21 सामाजिक खतरे की कसौटी के सिद्धान्त के अनुसार जहॉ लडकियों की संख्या में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है जो कि महिलाओ के प्रति हिंसा, बलात्कार, उत्पीडन, छेडछाड इत्यादी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में लिंग चयनित गर्भपात करने के लिए सहमति भी अपराध के प्रत्यन अर्थात भारतीय दण्ड संहिता की धारा 511 के तहत दण्डनीय होगा क्योंकि ऐसे चिकित्सको को छोड दिया गया तो समाज में इसी प्रकार लडकियों की संख्या में गिरावट दर्ज की जाती रहेगी।

22 **ऐसी स्थिति में सरकार बनाम प्रमिला चौधरी में अपील बाबत् पर्याप्त आधार है, परन्तु पूर्व में एक प्रकरण में निदेशक राजकीय बादकरण द्वारा यह कहा गया अपील के मामले में निर्णयाधिकार संबंधित जिला कलैक्टर का है। ऐसे में अपील के उक्त आधारो से अवगत कराते हुए जिला कलेक्टर अजमेर को लिखा जाना प्रस्तावित है।**

23 अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है

19/06/09

(रितेष तिवारी)
L.A.- PCPNDT

24 अति0 निदेशक (प0क0) पैरा 18 to 22 अवलोकनार्थ एवं निर्देशनार्थ प्रस्तुत है 19/6/09

25 निदेशक (प0क0) 19/6/09

JUN 2009

26 अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं शासन सचिव (प0क0)

27 2009 Dir (FW)

30/6/09

AD (FW) - Ou tan
PC-PNDT Cell

1013/SEW/09
25/06/09

RAJAddl. Dir.RCH/746
Date 19.6.09

Sr. B.M.H.S. (FW)/36
30/06/09

(2)

<u>अति आवश्यक</u>

बेटी बचाओ
Save the girl Child

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

कमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ / 2009 / 286 दिनांक : 02/07/09

जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
जिला कलेक्टर, अजमेर

विषय :– सैशन प्रकरण संख्या 36/2008 सरकार बनाम डॉ0 प्रमिला चौधरी न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक–1) के दिनांक 06.05.09 के निर्णय की अपील के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त सैशन प्रकरण में अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक–1) द्वारा दिनांक 06.05.09 को दिये गये निर्णय की प्रति प्राप्त हुई है उक्त सैशन प्रकरण सहारा समय न्यूज चैनल द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के उल्लंघन के संबंध में किये गये स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित है।

न्यायालय के उक्त फैसले में कुछ आधार ऐसे है जिन पर अपील की जा सकती है :–

- उक्त प्रकरण एक स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित है। जिसमें पत्रकारों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि हमारा उद्देश्य गर्भ समापन कराना नहीं था बल्कि हम केवल इस प्रकार के अवैध गर्भसमापन करने वालों को उजागर करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तैयारी का प्रश्न ही नहीं उठता।
- पत्रकारों द्वारा अपने बयानों मे यह स्वीकार किया गया है कि जब हमने डॉ0 प्रमिला चौधरी को यह बताया कि हमारे पहले से एक बेटी है तथा गर्भ में भी एक लडकी है इस कारण गर्भपात कराना चाहते है। जिस पर अभियुक्त द्वारा गर्भपात के लिए सहमति दी ओर कल आने को कहा।
- 511 आईपीसी के अर्न्तगत जिस प्रयत्न को दण्डनीय बनाया गया है वह आशय और तैयारी के बाद तीसरा प्रक्रम है जो कि प्रत्येक स्तर दण्डनीय है और जहॉ तक आशय का प्रश्न है चिकित्सक द्वारा लिंग चयनित गर्भपात के लिए सहमति ही चिकित्सक के आशय को प्रदर्शित करती है।

511 आईपीसी के सामाजिक खतरे की कसौटी के सिद्वान्त के अनुसार जहॉ लडकियों की संख्या में निरन्तर गिरादट दर्ज की जा रही है जो कि महिलाओ के प्रति हिंसा, बलात्कार, उत्पीडन, छेडछाड इत्यादी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में लिंग चयनित गर्भपात करने के लिए सहमति भी अपराध के प्रयत्न अर्थात भारतीय दण्ड संहिता की धारा 315/511 के तहत दण्डनीय होगा क्योंकि ऐसे चिकित्सको को छोड दिया गया तो समाज में इसी प्रकार लडकियों की संख्या में गिरावट दर्ज की जाती रहेगी।

अतः निवेदन है कि सैशन प्रकरण संख्या 36/2008 सरकार बनाम डॉ0 प्रमिला चौधरी न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक–1) के दिनांक 06.05.09 के निर्णय की अपील के संबंध में आप द्वारा लिये गये निर्णय से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का श्रम करें।

राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
2. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।

निदेशक (प0क0) 2/7/09
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

(3)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमाकः कअ/विधि/09/ 470- दिनांक : 10/8/09

निमित्त– ✓ निदेशक (प0क0)एवं
राज्य नोडल अधिकारी(पीसीपीएनडीटी)
चिकित्सा एवं स्वा0 सेवाएँ,
राजस्थान–जयपुर ।

विषयः सैशन प्रकरण सॅ0: 36/2008 सरकार बनाम डा0 प्रमिला चौधरी, न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक–1) के द्वारा पारित निर्णिय दि0 6.5.09 के विरूद्ध अपील करने अथवा नहीं करने के सम्बंध में ।

प्रसंगः आपका पत्र क0/राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ /2009/286 दिनांक 2.7.09 के कम में ।

P.C.P.N.D.T

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रेक–1 अजमेर ने निर्णय दिनांक 6.5.09 द्वारा आरोपी श्रीमति (डा0) प्रमिला चौधरी को धारा –316/511 भादस तथा धारा–5, एम.पी.पी. एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है ।

पत्रावली पर आयी साक्ष्य के अनुसार आरोपी के नर्सिंग होम से न तो सोनोग्राफी की मशीन बरामद हुई और ना ही किसी महिला का गर्भ समापन का कोई अभिलेख जांच अधिकारी द्वारा बरामद हुआ है निर्णय में न्यायालय ने यह माना है कि सोनोग्राफी मशीन नहीं पाई जाने से उसके बिना गर्भस्थ शिशु के लिंग का परीक्षण किया जाना सम्भव नहीं है । पत्रावली पर गर्भ समापन की तैयारी सम्बंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । उपरोक्त आधारों पर आरोपी को बरी किया गया है । अपर लोक अभियोजक ने निर्णय के विरूद्ध अपील की गुंजाईश नहीं होना व्यक्त किया है ।

अपर लोक अभियोजक की राय एवं उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील में सफलता की सम्भावना नहीं होने से प्रकरण में अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया है । तथापि प्रकरण में पारित निर्णय एवॅ अपर लोक अभियोजक की राय सॅलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

6881
28/8/09

संलग्नः अपर लोक अभियोजक की राय ऍव निर्णय की प्रति ।

जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांकः सम/09/ दिनांक :

प्रतिलिपिः मुख्य चिकित्सा एवॅ स्वा0 अधिकारी अजमेर को उनके पत्र क0/ 10089 दि0 18.6.09 के क्रम में मय मूल पत्रावली व अपर लोक अभियोजक की राय की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

ह0/–
जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

कार्यालय अपर लोक अभियोजक (प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक) अजमेर (4)

श्रीमान जिलाधीश महोदय,
जिला अजमेर।

(प्रा / 28/5/09)

1) न्यायालय का नाम :- न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक नं.1)

2) सेशन प्रकरण सं० :- 36/08

3) राज्य बनाम :- डा. श्रीमति प्रमिला चौधरी

4) परिवाद द्वारा :- डा० वी० के० माथुर तत्कालिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

5) परिवाद अन्तर्गत धारा :- धारा 315/511 IPC, धारा 5 - एम० टी० पी० एक्ट व 6/23 पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट

6) निर्णय दिनांक :- 6/5/09

7) नकल दिनांक :- 8/5/09

(2584 / 8-6-09)

8) P. P. No :- 47/08

9) टिप्पणी :- प्रकरण में MTP Act 1971 धारा 5 की उपधारा 2, 3, व 4 के अनुसार सभी परिस्थितियों में गर्भ समापन को दण्डनीय अपराध माना गया है, जबकि उक्त प्रकरण किसी का गर्भ समापन नहीं किया गया है। P.C.P.N.D.T. Act 1994 की मुख्य धारा 6 लिंग परीक्षण के प्रतिबन्ध से सम्बन्धित है, इस बाबत PW-1 डा० तारा चन्द्रा, PW2 डा० वी. के माथुर, व PW3 डा० लक्ष्मण हरचन्दानी ने न्यायालय में सशपथ बयानों में बताया की जाँच के दौरान आरती नर्सिंग होम में सोनोग्राफी की मशीन नहीं पायी थी। इसी प्रकार स्टिंग ऑपरेशनकर्ता PW4 श्रीपाल सिंह ने न्यायालय में सशपथ बयानों में बताया कि "स्टिंग ऑपरेशन" की कार्यवाही के दौरान लिंग

//

परिक्षण की सुविधा बाबत पूछे जाने पर "अभियुक्ता ने यह बताया था कि लिंग परिक्षण करवाया जाना अवैध है तथा अजमेर में लिंग परिक्षण करवाये जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार बिना सोनोग्राफी मशीन के गर्भस्थ महिला के शिशु का लिंग परिक्षण किया जाना संभव नहीं है और इस प्रकरण में किसी महिला का लिंग परिक्षण नहीं किया गया है। प्रकरण में डा० श्रीमती प्रमिला चौधरी द्वारा " महिला के गर्भस्थ शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने की कोई तैयारी नहीं की थी"। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा गर्भ समापन करवाये जाने की तैयारी की परिस्थिति पैदा होना नहीं माना जा सकता है, उक्त कारण से धारा 315/511 भा. दं. सं. प्रमाणित नहीं होती है।

उक्त अनुसार डा० प्रमिला चौधरी को आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होने के कारण दोषमुक्त किया जाता है। अन्य कोई शेष साक्ष्य पत्रावली पर नहीं होने से शेष में प्रकरण अग्रिम शोध नहीं है।

प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा० बी० के माथुर के विरुद्ध टिप्पणी की है, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के गवाह PW5 - डा० सत्यपाल यादव (तत्कालीन निदेशक परिवार कल्याण एवं जनता राज्य समुचित प्राधिकरण) के न्यायालय में दिये गये सहायक बयानों की ओर गौर नहीं किया है जिसके अनुसार उक्त गवाह द्वारा पत्र दिनांक 10 जारी कर डा० बी० के माथुर को कार्यवाही हेतु निर्देशित

-3-

...किया गया था. जिसकी पालना मे तत्कालिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारि डा० वी० के० माथुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया था. इसलिए डा० वी० के माथुर को किसी लापरवाही का दोषी नहि व्यक्तिगत रूप से ठहराया जा सकता है.

पत्रावली पेश कर खुमार होकर मय समर्पित प्रति पत्रावली के अन्तिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है

3/2/01

FREE

1197/11P

न्यायालय- अपर सैशन न्यायाधीश (फास्टट्रेक) सं. 1, अजमेर ।

पीठासीन अधिकारी- महावीर प्रसाद शर्मा, आर. एच. जे. एस.

सैशन प्रकरण संख्या- 36/2008

राज्य सरकार, जरिए अपर लोक अभियोजक,

परिवादी

विरुद्ध

डाक्टर श्रीमती प्रमिला चौधरी पत्नी श्री ओ. पी. बेनीवाल, देवराज-क्लीनिक, ग्राम थांवला, जिला नागौर ।

अभियुक्ता

अपराध अन्तर्गत धारा-315/511 व 120 भा0दं0सं0 एवं धारा-5एम.टी.पी. एक्ट व धारा-6/23पी.एन.डी.टी. एक्ट

उपस्थिति- (1) श्री अशोक तेजवानी App. दिनांक 06-5-09
(1) श्री अमरदान लखावत अधि.

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इसप्रकार से हैं कि डा0 वी. के. माथुर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर ने दिनांक- 22.11.2006 को डा. देविका चौधरी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह पेशे से पंजीकृत चिकित्सक होकर भानकरण शारदा स्मारक अस्पताल (शारदा नर्सिंग होम) एवं शोध संस्थान शारदा भवन दौलत बाग, अजमेर पर चिकित्सक के रूप में कार्यरत थी । दिनांक- 5.4.06 से दिनांक- 23.4.06 तक टी. वी. चैनल "राष्ट्रीय सहारा समय" पर "कोख में कत्ल" नामक शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, जिसमें सरकारी एवं निजी चिकित्सकों एवं चिकित्सा संस्थानों के द्वारा अवैध रूप से एवं गैर कानूनी से कानून का उल्लंघन करके प्रसव पूर्व लिंग का परीक्षण करके गर्भ समापन किया जाता है और कानून का उल्लंघन किया जाता है । जिसके अनुसार अभियुक्ताद्वारा अवैध रूप से गर्भपात किया गया, जबकि अभियुक्ताको गर्भपात करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था तथा अभियुक्ताद्वारा गर्भपात कराने एवं जीवित बच्चे को जो कि अपरिपक्व अवस्था में निकालने जिससे कि

06-5-09
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक संख्या 1 अजमेर

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा,
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

उनकी मृत्यु हो जाये, इस उद्देश्य से कृत्य किया गया है तथा दिनांक- 14.6.06 को अभियुक्ता के हॉस्पीटल पर जांच हेतु डा० श्री लक्ष्मण हरचंदानी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, [illegible], अजमेर, डा० तारा उन्नाम, कनिष्ठ विशेषज्ञ गायनिक डा० सलिल माहेश्वरी क०विशेषज्ञ शिशु, डा० कल्पना सोनी पैथोलाजिस्ट राजकीयचिकित्सालय सेटेलाइट अस्पताल, अजमेर ने अभियुक्ता के अस्पताल जाकर जांच की और जांच के दौरान पाया गया कि अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नही है एवं न ही पंजीकरण है, फलस्वरूप उक्त दल ने सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से निर्णयानुसार मौके पर अवैध गर्भपात एवं जांच में प्रयोग किये जाने वाले औजार सीज किये गये ।

आगे परिवाद में यह भी अंकित किया गया है कि दिनांक 14.6.06 को विधिवत परिवादी द्वारा अभियुक्ता चिकित्सा संस्थान संचालकको उनके द्वारा गैर कानूनी रूप से अविधिक तौर पर गर्भावस्था के दौरान गर्भ में लड़की/लड़का का पता लगाकर बताने एवं गर्भ में लड़की होने पर गर्भपात की सेवाएं उपलब्ध कराते हुए, बाबत अवगत कराया गयातथा गर्भपात नही करने के निर्देश दिये गये थे, साथ ही सीज किये गये औजारों को आगामी आदेश तक इस्तेमाल नही करने के निर्देश दिये गये थे तथा सम्बंधित रजिस्टर जांच हेतु उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये थे, जो नोटिस दि. 14.6.06 को प्राप्त हो गया था । आदि, आदि ।

उक्त परिवाद मूलतः डा० देविका चौधरी के विरूद्ध पेश किया गया था । कालान्तर में परिवादी ने संशोधित परिवादपत्र प्रदर्श पी 7 एवं पत्र प्रदर्श पी9 के माध्यम से डा० श्रीमती देविका- चौधरी के स्थान पर डा० श्रीमती प्रमिला चौधरी के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने की प्रार्थना की ।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक- 5.2.07 को परिवादी डा० बी.के. माथुर के बयान अन्तर्गत धारा- 200 दं.प्र.सं. लेखबद्ध करने के पश्चात दिनांक- 14.03.2007 को अभियुक्ता डा० श्रीमती प्रमिला चौधरी के विरूद्ध धारा- 5 एम.टी.पी. एक्ट 1971, धारा-6/23 पी.पी.डी.टी. एक्ट 1994 एवं धारा-315/511 व 120 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रसंज्ञान लिया गया ।

06-5-09
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
फास्ट ट्रेक संख्या 1 अजमेर

प्रमाणित प्रतिलिपि

..03

[illegible]
जिला एवं [illegible] न्यायालय, अजमेर

उक्त धाराओं के अपराध की अंवीक्षा अनन्य रूप से माननीय सेशन न्यायाधीश द्वारा किये जाने योग्य होने से, यह प्रकरण सेशन कमिट कियागया और कालान्तर में निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ ।

न्यायालय द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध धारा- 315/511 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा-5 एम.टी.पी. एक्ट 1971 एवं धारा-6/23, प्रीकन्सेप्शन एवं प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्नीक्स(प्रोहीबीशन ऑव सेक्स सलेक्शन) एक्ट 1994 के आरोप पृथक-पृथक विरचित किये गये । अभियुक्ता द्वारा आरोपों से इंकार किये जाने पर अभियोजन पक्ष को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया ।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी ड. 1 डा0 तारा खन्ना, पी ड. 2 डा0 पी.के.माथुर, पी ड. 3 डा0 लक्ष्मण पी ड. 4 श्रीपालसिंह, पी ड. 5 डा0 सत्यपाल यादव, पी ड. 6 दिलीप-कुमार, पी ड. 7 अश्विनी शर्मा एवं पी ड. 8 मीना शर्मा को परीक्षित कराया गया ।

प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी1 स्टिंग ऑपरेशन की सी.डी., पी2 डा0 किरण शारदा द्वारा लिखा गया पत्र, पी3 सी.डी. में रिकॉर्डेड बातचीत का ब्यौरा, पी4 व 5 अभियुक्ता के टी.वी. फोटो-ग्राफ, पी6 व 7 क्रमशः परिवाद एवं संशोधित परिवाद, पी8 परिवाद में संशोधन बाबत पत्र, पी9 सी.डी. पेश करने का पत्र, पी10 निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर का पत्र एवं पी 13 सूची गवाहन को पेश कर प्रदर्शित कराया गया ।

अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्ता को धारा- 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया तो उसने गवाहों के कथनों को गलत बताते हुए अस्वीकार किया और रंजिशवश मामले में झूठा फंसाये जाने का कथन कियाहै । लेकिन अभियुक्ता ने अपनी प्रतिरक्षा में किसीप्रकार की कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही की है ।

उभयपक्ष की बहस अंतिम सुनी गयी । पत्रावली का विधिवत अवलोकन किया गया ।

06-5-09
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
फास्ट ट्रेक संख्या 1 अजमेर

..04

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा,
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि पी ड• 4 श्रीपाल-सिंह शक्तावत एवं पी ड• 8 श्रीमती मीना शर्मा के बयानों से अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित हो जाते है। उनका एक तर्क यह रहा है कि सी•डी• प्रदर्श -1 में रिकार्डेड वार्तालाप प्रदर्श-3 है। अतः अभियुक्ता को आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

जबकि अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि किसी महिला का गर्भ समापन नही किया जाना एवं सोनोग्राफी कराने की कोई सलाह नही दिया जाना स्वयं परिवादी पी ड• 2 डा0 बी0के0 माथुर ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि शारदा नर्सिंग होम में सोनोग्राफी की कोई मशीन मौजूद नहीं थी। जिस कथित महिला का गर्भपात करने का प्रयास किया जाना बताया गया है, उसे न्यायालय में प्रस्तुत नही किया है। उनका यह तर्क रहा है कि प्रदर्श-1 सी•डी• मूल सी•डी• न होकर एडीटेड सी•डी• है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा बोले गये शब्दों एवं चेहरे में फेर-बदल किया जाना स्वयं पी ड• 4 श्रीपाल ने स्वीकार किया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि जिस कथित गर्भवती महिला को चिकित्सालय में लाकर दिखाया जाना बताया गया है, उस महिला के संबंध में चिकित्सक द्वारा लिखी गयी परची को प्रस्तुत नही कियागया है। उनका एक तर्क यह रहा है कि स्टिंग कैमरे के संबंध में माननीय उच्च= दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा (146) 2008 देहली लॉ टाईम्स देहली, पेज 429, कोर्ट ऑन इटस ओन मोशन बनाम राज्य के न्यायिक दृष्टांत में पारित दिशा-निर्देशों की पालना नही की गयी, ऐसी स्थिति में स्टिंग कैमरे द्वारा की गयी कथित कार्यवाही अवैध है। उनका एक तर्क यह रहा है कि परिवादी पी ड0 1 डा0बी•के माथुर द्वारा परिवाद पेश करने के पूर्व कोई जाँच नही की गयी है। अतः अभियुक्ता को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त करने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया।

..05

[signature] 06-5-09

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
फास्ट ट्रेक संख्या 1 अजमेर

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा,
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते है-

1- क्या दिनांक- 14.6.06 के पूर्व किसी दिन शारदा नर्सिंग-होम अजमेर में अभियुक्ता ने एक महिला का गर्भसमापन किया तथा गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण कराने की सलाह/सहमति प्रदान की ?

2- क्या उक्त अवधि में उक्त स्थान पर अभियुक्ता ने एक महिला के गर्भस्थ शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने का प्रयास किया ।

उक्त दोनों बिन्दुओं के सम्बंध में न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा रहा है-

विचारणीय बिन्दु संख्या एक

घटनाक्रम

अभियोजन कहानी के अनुसार पी ड. 5 डा० श्रीमती किरण-शारदा, "शारदा नर्सिंग होम" अजमेर की संचालिका है, जिसने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह दिनांक- 11.2.06 से 14.2.06 तक की अवधि में अपने परिवार के साथ विवाह में आगरा गयी हुई थी और उक्त अवधि के दौरान वह श्रीमती प्रमिला चौधरी पत्नी ओ.पी. बेनीवाल{अभियुक्ता} को अपने उक्त अस्पताल में मरीजो की देखभाल हेतु नियुक्त करके गयी थी । अर्थात दि. 11.2.06 से 14.2.06 के दरमियान शारदा नर्सिंग होम अजमेर पर अभियुक्ता का कार्यरत रहना प्रकट होता है । उक्त अवधि के अलावा शारदा नर्सिंग होम अजमेर पर अभियुक्ता के कार्यरत रहने के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नही आयी और न ही अभियोजन का ऐसा कोई मामला है । पी ड. 4 श्रीपालसिंह एवं पी ड. 8 श्रीमती मीना सहारा राष्ट्रीय चैनल के कर्मचारीगण है, जिनके द्वारा दिनांक- 14.2.06 को छिपे कैमरे के द्वारा प्रश्नगत स्टिंग ऑपरेशन की कार्यवाही कर, सी.डी. प्रदर्श-पी1 तैयार करना बताया है । सी.डी. प्रदर्श-1 के आधार पर पी ड. 2 डा० बी.के.माथर ने दिनांक- 14.6.06 को जांच करने के पश्चात इस्तगासा प्रदर्श पी6 डा० श्रीमती देविका चौधरी के विरुद्ध न्यायिक-मजिस्ट्रेट सं. 3, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और कालान्तर

06.5.09

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
फास्ट ट्रेक संख्या 1 अजमेर

...06

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा,
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

में डा० देविका चौधरी के स्थान पर वर्तमान अभियुक्ता श्रीमती प्रमिला चौधरी के विरूद्ध पत्र प्रदर्श पी8 पेश कर, प्रसंज्ञान लिये जाने की प्रार्थना की ।

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम(एम. टी. पी. एक्ट) 1971 की धारा- 5 के अनुसार-

उपधारा-2 भारतीय दंड संहिता(1860 का 45) में किसी बात होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गर्भ का समापन, जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक-व्यवसायी नही है, उस संहिता के अधीन दंडनीय अपराध होगा, जो कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नही होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय अपराध होगा और वह संहिता इस सीमा तक उपांतरित हो जायेगी ।

उपधारा-3 जो कोई, धारा-4 में उल्लेखित से भिन्न स्थान में किसी गर्भ का समापन करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीहोगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

उपधारा-4 कोई व्यक्ति, जो किसीऐसे स्थान का स्वामी है, जो धारा-4 के खंड-ख के अधीन अनुमोदित नही है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नही होगी, किन्तु जो सात वर्ष कीहो सकेगी, दंडनीय होगा ।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त सभी परिस्थितियों में गर्भ-समापन को दंडनीय अपराध माना गया है ।

पीड. 2 डा० वी. के. माथुर ने प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार कियाहै कि उसके द्वारा की गयी जांच में यहतथ्य सामने नही आया था कि अभियुक्ता के द्वारा किसी महिला का गर्भपात किया गयाहो। पी ड. 1 डा० तारा खन्ना ने भी प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार कियाहै कि अभियुक्ता द्वारा किसी महिला का गर्भपात किये जाने का तथ्य सामने नही आयाथा । इसप्रकार अभियोजनपक्ष की

06-5-09

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
फास्ट ट्रेक संख्या 1 अजमेर

...07

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा,
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

ओर से परीक्षित गवाहों के बयानों से यह तथ्य कहीं प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्ता द्वारा दिनांक- 11.2.06 से 14.02.2006 के दरमियान शारदा नर्सिंग होम अजमेर में किसी महिला के गर्भ का समापन कराया गया हो।

अभियुक्ता का दिनांक- 11.2.06 से 14.2.06 की अवधि के मध्य शारदा नर्सिंग होम अजमेर पर कार्यरत रहना बताया गया है। पी ड• 1 डा0 तारा खन्ना एवं पी ड• 2 डा0 बी0के0माथुर तथा पी ड• 3/डा0 लक्ष्मण हरचंदानी ने [redacted] पी ड• 4 श्रीपालसिंह एवं पी ड• 8 श्रीमती मीना शर्मा द्वारा जुटाये गये तथ्यों (सी•डी• प्रदर्श पी•1) के संबंध में दिनांक- 14.6.06 को जांच करना कथन करते हुए, जांच-रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 तैयार करना बताया है। उक्त तीनों साक्षीगण प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार करते है कि जांच के दौरान शारदा नर्सिंग होम में सोनोग्राफी की मशीन मौजूद नहीं पायी गयी थी। उक्त तीनों ही चिकित्सक साक्षीगण अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को भी स्वीकार करते है कि सोनोग्राफी की मशीन के अभाव में गर्भस्थ शिशु के लिंग का परीक्षण किया जाना संभव नहीं है। जांच-रिपोर्ट प्रदर्श पी•11 में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख आया है कि जांच के दौरान उक्त चिकित्सालय में/सोनोग्राफी मशीन नहीं पायी गयी थी। परिवादी पीड•2 डा0 बी•के•माथुर एवं पीड•1 श्रीमती तारा खन्ना ने प्रतिपरीक्षा में इस बात को भी स्वीकार किया है कि जांच के दौरान उनके सामने ऐसी कोई महिला प्रस्तुत हुई नहीं हुई थी, जिसे शारदा नर्सिंग होम में डा0 प्रमिला चौधरी ने गर्भ के लिंग परीक्षण हेतु सोनोग्राफी कराने की सलाह दी हो। पीड• 4 श्रीपालसिंह ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि "स्टिंग ऑपरेशन" की कार्यवाही के दौरान लिंग परीक्षण की सुविधा बाबत पूछे जाने पर अभियुक्ता ने यह बताया था कि लिंग परीक्षण कराया जाना अवैध है तथा अजमेर में लिंग परीक्षण कराये जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इसप्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त

06-5-09

अपर जिला एवं सशन न्यायाधीश
फास्ट ट्रेक संख्या 1 अजमेर

...08

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा,
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

विवेचन से यह प्रकट होता है कि शारदा नर्सिंग होम अजमेर पर प्रश्नगत अवधि में सोनोग्राफी की मशीन मौजूद नही थी और सोनोग्राफी की मशीन के बिना गर्भस्थ शिशु के लिंग का परीक्षण किया जाना संभव नही है। पत्रावली पर ऐसे भी कोई तथ्य सामने नही आये है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्ता ने किसी महिला विशेष को गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कराये जाने की सलाह दी।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्ता द्वारा दिनांक-11.2.06 से 14.2.06 की अवधि के दौरान शारदा नर्सिंग होम, अजमेर में किसी महिला का गर्भसमापन करने एवं गर्भवती महिला को गर्भस्थ शिशु के लिंग का परीक्षण कराये जाने की सलाह दिये जाने का बिन्दु अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से प्रमाणित करने में पूरी तरह से असफल रहा है।

<u>विचारणीय बिन्दु सं. 2</u>

पी डब्ल्यू. 4 श्रीपाल एवं पी डब्ल्यू. 8 श्रीमती मीना शर्मा सहारा इंडिया नामक चैनल के कर्मचारीगण है, जिनके द्वारा दिनांक-14.2.06 को शारदा नर्सिंग होम, अजमेर में छिपे कैमरे के द्वारा प्रश्नगत स्टिंग ऑपरेशन किया जाना बताया गया है और इस संबंध में तैयार सी.डी. प्रदर्श-1 को प्रदर्शित कराया गया है। लेकिन पी डब्ल्यू. 4 श्रीपालसिंह ने प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श-1 सी.डी. मूल नहीं होकर "एडीटेड" सी.डी. है और एडीटिंग की कार्यवाही के द्वारा किसी मूल सी.डी. में रिकार्डेड वार्तालाप व चेहरे में फेर-बदल किया जा सकता है। यहां यह उल्लेख किया जाना भी उचित होगा कि कथित स्टिंग ऑपरेशन की मूल सी.डी. की एडीटिंग करके प्रदर्श-1 सी.डी. तैयार करने वाले व्यक्ति को भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नही कराया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो पाता कि उस व्यक्ति ने एडीटिंग के दौरान मूल सी.डी. में कोई फेर-बदल नही करते हुए, प्रदर्श-1 सी.डी. तैयार की है। ऐसी स्थिति में परिवादी पक्ष की ओर से प्रदर्श करायी गयी सी.डी. प्रदर्श-1 संदिहास्पद हो जाती है।

पी डब्ल्यू. 8 श्रीमती मीना शर्मा ने प्रतिपरीक्षा में इस बात

..09

06-5-09
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
फास्ट ट्रेक संख्या 1 अजमेर

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा,
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

को स्वीकार किया है कि जिस दिन वह शारदा नर्सिंग होम पर गयी थी, उस दिन अभियुक्ता ने गर्भपात की कोई तैयारी नही की थी । अर्थात उक्त साक्षी स्वंय इसबात को स्वीकार करती है कि अभियुक्त ने तत्समय किसी महिला के गर्भस्थ शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने की कोई तैयारीनही की थी । पी ड० 4 श्रीपालसिंहएवं पी ड० 8 श्रीमती मीना शर्मा ने साक्ष्य में यह भी कथन कियाहै कि योजना के अनुसार कथित महिला के गर्भ समापन हेतु जब अभियुक्ता के पास गये तो अभियुक्ता ने दूसरे दिन आने के लिए कहा था और दूसरे दिन वे लोग अभियुक्ता के पास नही गये, क्योंकि उनका आशय गर्भ समापन कराने का नही था । ऐसी स्थिति में अभियुक्ता द्वारा गर्भ समापन कराये जाने की तैयारी की परिस्थिति पैदा होना नही माना जा सकता है । पी ड० 4 श्रीपालसिंह एवं पी ड० 8 श्रीमती- मीना ने कथित गर्भवती महिला के परीक्षण के संबंध में शारदा नर्सिंग- होम अस्पताल में परची बनाया जाना अपने बयानों में बताया है, लेकिन ऐसी कोई परची, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित नही करायी गयी है और न ही प्रश्नगत सी०डी० प्रदर्श-1 में ऐसी किसी गर्भवती महिला को दिखाया गया है । ऐसी स्थिति में किसी गर्भवती महिला के परीक्षण हेतु दिनांक- 14.5.06 को शारदा नर्सिंग होम में अभियुक्ता के पास जाने का तथ्य भी अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से प्रमाणित नही होता है ।

सी०डी० प्रदर्श-1 के संबंध में पी ड० 2 डा० बी० के० माथुर, पी ड० 1 डा० तारा चन्द्रा एवं पी ड० 3 डा० लक्ष्मण हरचंदानी द्वारा जाँच किया जाना एवं जाँच के पश्चात रिपोर्ट प्रदर्श पी11 तैयार करना बताया गया है । लेकिन रिपोर्ट प्रदर्श पी11 में इस बात का कोई उल्लेख नही आयाहै कि जाँचकर्ताओ ने शारदा नर्सिंग होम में अभियुक्ता द्वारा गर्भस्थ शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने की तैयारी किये जाने का तथ्य प्रमाणित होना पाया हो अथवा ऐसी परिस्थितियां पायी हो, जिनसे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्ता द्वारा गर्भ समापन की तैयारी किसी दिन की गयीहो । किस गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने की तैयारी, अभियुक्ता द्वारा की गयी ऐसी साक्ष्य अथवा परिस्थितियां पत्रावली पर नही आयी है और न ही ऐसी कोई महिला न्यायालय में परीक्षित हुई है ।

...10

06-5-09
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
फास्ट ट्रैक संख्या 1 अजमेर

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा,
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु सं. 2 को भी अपनी साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित करने में पूरी तरह से असफल रहा है।

हस्तगत प्रकरण के सम्पूर्ण घटनाक्रम, तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह प्रकट होता है कि परिवादी डा0वी. के. माथुर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, द्वारा, सहारा इंडिया नामक टी. वी. चैनल के तथाकथित "स्टिंग ऑपरेशन" बाबत गहनता से जांच नही की गयी। जबकि उनका यह दायित्व था कि वे ऐसे गम्भीर सामाजिक मसले के संबंध में स्वयं अपने स्तर पर विस्तृत जांच करते अथवा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते, ताकि तथ्यों बाबत विस्तृत जांच हो पाती। ऐसा प्रतीत होता है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने खाना पूर्ति करते हुए, बिना किसी विस्तृत जांच के इस्तगासा प्रदर्श-6 न्यायालय में प्रस्तुत कियाहै, जो स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता का द्योतक है। अर्थात स्वयं चिकित्सा विभाग द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सम्यक तत्परता एवं निष्ठा से नही किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्तानुसार, अभियोजन पक्ष, अपनी साक्ष्य से विचारणीय बिन्दु सं. 1 व 2 को प्रमाणित करने में पूरीतरह से असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्ता आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-315/511 ~~[illegible]~~ भारतीय दंड संहिता तथा धारा-5 एम. टी. पी. एक्ट व धारा-6/23 पी. पी. एन. डी. टी. एक्ट से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता डा0 श्रीमती प्रमिला चौधरी पत्नी श्री ओ. पी. बेनीवाल, देवराज क्लीनिक, थांवला, जिला नागौर अजमेर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा- 315/511 भारतीय दंड संहिता तथा धारा-5 मेडीकल टर्मिनेशन ऑव प्रेग्नेंसी व धारा-6/23 प्रीकन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (प्रोहीब्शन ऑव सेक्स सलेक्शन) एक्ट1994 से दोषमुक्त किया जाता है।

06-5-09

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
फास्ट ट्रैक संख्या 1 अजमेर

...11

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा,
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

ःः।- सरकार बनाम श्रीमती प्रमिला चौधरी

अभियुक्ता की ओर से न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत-मुचलके तुरत प्रभाव से निरस्त किये जाते है ।

सी॰डी॰ प्रदर्श-। बाद गुजरने मियाद अपील नष्ट कर दी जावे ।

06-5-09
(महावीर प्रसाद शर्मा)
अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) सं॰ 1,
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
फास्ट ट्रैक संख्या 1 अजमेर

निर्णय आज दिनांक- 06.5.2009 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

06-5-09
(महावीर प्रसाद शर्मा)
अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) सं॰ 1,
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
फास्ट ट्रैक संख्या 1 अजमेर

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा,
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर